No. 28-HA/63-HC/1912.—Whereas the Governer of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense for a public purpose, namely, constructinged road from Tohana-Narwana road to village Balyala, tehsil Tohana district Hisar, it is hereby declare that the land described in the specification below is required for the aforesaid purposes.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D., B&R Branch, Bhiwani or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collecter, Hisar, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D., B&R. Branch, Bhiwani or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector Hisar or Executive Engineer, Constuction Division, P. W. D., B&R. Branch Hisar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/village Hadbast No.	Area in acres	Rectangle Khasra No.
Hisar	Tohaha	Balyala	1.205	38
		H. B. No. 95		13/1, 13/2, 18, 19/1, 19/2, 22, 23
		1312×40=		44
		9×4840		2/1, 2/2, 9, 10, 11, 12, 20/1, 20/2
				93, 94, 96, 80, 81, 148, 149

No. 28-HA/63-H/1913.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense, for public purpose, namely, Constructing Eastern side Phirni road of Village Moda Khera, tehsil Hisar, district Hisar, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purposes.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. B., & R. Branch., Bhiwani or District Revenue Officer-cum Land Acquisition Collecter, Hisar, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B. & R. Branch, Bhiwani or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hisar or Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D. B., & R. Branch, Hisar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/village Hadbast No.	Area in acres	Rectangle Khasra No.
Hisar	Hisar	Moda Khera	2.26	90
		H. B. 31		16, 25
				108
				5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16, 25
R.D. 0 to 886, 1214 to 2788= 2460×40=2.26				113
9×4840				5/1, 5/2, 6, 9, 12, 13, 14/1

District	Tehsil	Locality/Village H.B. No.	Area in acres	Rectangle Khasra Nos.
Hissar	Hissar	Moda Khera H. B. 31		113 14/2, 15, 26,
R.D. 886 to 1214=		$\frac{328\times33}{9\times4840}=0.25$	0.25	Khasra No. 192, 194,, 285 to 299, 341 to 347, 347/1 to 347/5 354, 355, 426, 427, 433, 437, 438, 439, 434
		Total	2.51	

The 29th June, 1987

No. 28-HA/63-F/1915.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, constructing road from Dhanger to Dhani Majra, tehsil Fatehabad, district Hisar, it is, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purposes.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D., B & R, Branch, Bhiwani or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hisar, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D., B & R, Branch, Bhiwani or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hisar or Executive Engineer, Provincial Division, P. W. D. B & R, Branch, Fatehabad.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village Hadbast No.	Area in acres	Rectangle Khasra No.
Hisar	Fatehabad	Dhanger 47	10.12	294, 282, 287, 300, 301, 309, 305, 310, 346, 347, 348, 349, 352, 353, 399, 401, 486, 485, 511, 529, 512 to 520, 466, 743, 1234, 1223, 1236, 1237, 1238, 1272, 1277, 320, 1346, 321, 322, 6 to 37, 297, 157 1, 10, 11, 141 11, 20, 21, 110 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 21/1, 24, 25, 21/2, 22, 23, 109 23, 24, 25, 112 1, 111 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 11, 12/1, 12/2, 13, 20, 91 4, 5, 7/1,, 7/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 18, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 22
R.D. 0 to 11021'=		$\frac{11021\times40}{9\times4840}$		

District	Tehsil	Locality/Village / Hadbast No.	Area in acres	Rectangle/ Khasra No.
Hissar	Fatehabad	Dhanges / 47—*concld*		$\frac{81}{2,\ 3,\ 8,\ 9/1,\ 9/2,\ 11,\ 12,\ 19,\ 20/1,\ 20/2,\ 21/1,\ 21/2}$, $\frac{80}{16,\ 24/2,\ 25/1,\ 25/2}$, $\frac{60}{5,\ 6,\ 14,\ 15,\ 16/1,\ 16/2,\ 17/1,\ 17/2,\ 23,\ 24}$, $\frac{59}{1/1,\ 1/2,\ 2/1,\ 2/1,\ 10}$, $\frac{52}{4,\ 5,\ 7/1,\ 7/2,\ 8,\ 13/1,\ 13/2,\ 14,\ 18,\ 19,\ 21,\ 22/1,\ 22/1}$, $\frac{32}{16,\ 25/1,\ 25/2\ 24}$, $\frac{31}{11,\ 12,\ 19,\ 90,\ 21}$
		Total	10.12	

CORRIGENDUM

The 25th June, 1987

No. 28-HA/63-F/1909.—In Haryana Government Notification No. 28-HA/63-F/1796, dated 4th September, 1936, published in ***Haryana Government Gazette***, dated September 23, 1986, at page No. 2655-2656 in the specification against village Kumharia, H. B. 93, tehsil Fatehabad, Khasra No. $\frac{115}{9}$, $\frac{117}{23}$, 217/2, 543 may be read as Khasra No. $\frac{115}{19}$, $\frac{117}{13}$, 227/2, 548.

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,
Hisar Circle, P. W. D., B. & R. Branch,
Hisar.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 25 जून, 1987

सं. ओ.वि./यमुनानगर/19-87/24843.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इंजीनियर्ज, हाईडल प्रोजेक्ट, एच०एस०ई०बी०, गोबिन्दपुरी, यमुनानगर, के श्रमिक श्री पूर्ण चन्द, पुत्र श्री तेलू राम मार्फत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इंटक, धर्मशाला ब्राह्मणा, रेलवे रोड, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम,

दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री पूर्ण चन्द की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार ?

सं० ओ. वि./एफ. डी./गुड़गांव/72-87/24850.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए हैं कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, सैन्ट्रल बाडी बिल्डिंग वर्कशाप, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव, के श्रमिक श्री सुनील कुमार हैल्पर, पुत्र श्री बलजीत सिंह, गांव जैतपुर, डा. जैतपुर, जिला महेन्द्रगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री सुनील कुमार हैल्पर को सेवा समाप्ति/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि/हिसार/102-87/24860.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैं० निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म (सैंटर स्टेट फार्म), हिसार, के श्रमिक श्री मुन्शी, पुत्र श्री आद राम, अकुशल श्रमिक, गांव व डा० जुगलान, तहसील व जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधिन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री मुन्शी, अकुशल श्रमिक की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर होकर नौकरी से लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बा/183-82/24867.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि (1) प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा डेरी डिवैलपमेंट कोर. फैडरेशन लि., सैक्टर 17, चंडीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, मिल्क प्लांट, अम्बाला शहर, के श्रमिक श्री मिस पुष्पिन्द्र कौर, मकान नं. 10284/6, अम्बाला शहर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या मिस पुष्पिन्द्र कौर की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?